भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 665
06 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

कोल्ड चेन योजना

665. श्री विनोद कुमार बिंद:
श्री आलोक शर्मा:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी :
श्री भोजराज नाग:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि विशेष रूप से दूरदराज या अल्पविकसित क्षेत्रों के छोटे किसान और छोटे संगठन कोल्ड चेन योजना के बारे में जागरुक हों और उसका लाभ उठा सकें;

(ख) क्या सरकार कोल्ड चेन योजना को मौजूदा ढांचे से आगे बढ़ाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक, एकीकृत शीत श्रंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के अंतर्गत, मंत्रालय की वेबसाइट पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करके दूरदराज या अविकसित क्षेत्रों सहित देश भर से समय-समय पर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त योजना के व्यापक प्रचार के लिए इसे प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) और प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रसारित किया जाता है। मंत्रालय अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी योजना के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, योजना के बारे में विस्तृत जानकारी**,** दिशानिर्देश और अपडेट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे प्रासंगिक संसाधनों तक आसान पहुंच मिलती है। छोटे किसानों के साथ-साथ संस्थाएं/संगठन जैसे एफपीओ/एफपीसी/एनजीओ/पीएसयू/फर्म/कंपनियों आदि सहित व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) की प्रोत्साहन गतिविधियों की योजना के तहत, मंत्रालय देश भर में सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, प्रदर्शनी आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि छोटे किसानों और छोटे संगठनों सहित हितधारकों के बीच कोल्ड चेन योजना सहित मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। वर्ष 2024 के दौरान, उपरोक्त उद्देश्य के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा एमओएफपीआई की सहायता से 60 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(ख) और (ग): उपर्युक्त योजना चालू है और मांग आधारित है। इस योजना के तहत धन की उपलब्धता के आधार पर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर पूरे देश से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

*****